न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2022	2022/230	20.07.2022	17.10.2022

उनवान प्रकरण

औमप्रकाश पुत्र जमन लाल आयु 35 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम फूटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

——प्रार्थी

बनाम

1. घीसाराम पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
2. गोपाल पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
3. छीतरमल पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
4. प्रभूदयाल पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
5. बाबुलाल पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष

   समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर, राज0।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 – प्रार्थी की ओर से।

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 – अप्रार्थीगण नं. 1 से 5 की ओर से।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 6 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:58 IST
Self Attested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1242/2 रकबा 0.57 हैक्टर, 1268/1 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 हैक्टर का प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियों के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 पड़ौसी काश्तकार है। जिनका प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कानूनी अधिकार या संबंध नहीं है। प्रार्थी ने उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/एल.आर./13 दिनांक 13.04.2022 की पालना में पटवार हल्का फुटाला के द्वारा विधिवत रूपेण दिनांक 25.03.2022 को करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान के अभाव में आये दिन विवाद की सिथिति बनती रहती है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा कुछ दिनों पूर्व बिना सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने की बदनियति से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जिसके चलते काफी विवाद की स्थिति पैदा हो गई तथा प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर स्थगन आदेश से पाबंद करवाया गया। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 जो [illegible] प्रार्थी खातेदार काश्तकार है से विवाद के स्थाई निदान तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 6 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 उपस्थित आयें एंव जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश नहीं कर सीधे ही वादग्रस्त आराजी भूमियों की पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का कोई संबध या सरोकार किसी किस्म का नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के सींव जोड़ काश्तकार है। जिस पर उनके द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद भी उक्त भूमियों पर अतिक्रमण करने की बदनियती से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जिसकी पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है। वही वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि उनके [redacted] अपनी कृषि भूमियों पर ही निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1242/2 रकबा 0.57 हैक्टर, 1268/1 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का फुटाला के द्वारा दिनांक 23.05.2022 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 13/एल.आर./2022 दिनांक 13.04.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का फुटाला के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसके आधार पर वकील अप्रार्थीगण के द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्र... में ...रगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का फुटाला द्वारा दिनांक 23.05.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1242/2 रकबा 0.57 हैक्टर, 1268/1 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का फुटाला द्वारा दिनांक 23.05.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)